20रु. Rs.20
बीस रुपये TWENTY RUPEES

निगरानी, ~~अपील~~ प्रकरण क्र.

प्रस्तुत दिनांक :-

मानननीय न्यायालय म0 प्र0 राजस्व मण्डल, ग्वालियर के समक्ष

R 2263 - PBR/14

शंकरलाल पिता भागीरथ
निवासी- केशरीपुरा, सांवेर
तहसील सांवेर जिला इंदौर
(म0 प्र0) — आवेदक

विरुद्ध

1- लालचन्द पिता भागीरथ कुमावत
निवासी- केशरीपुरा, सांवेर

2- शासन तर्फे तहसीलदार सांवेर — अनावेदकगण।

श्री श्रीकांत ... अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 15-7-14 को इन्दौर कैम्प पर प्रस्तुत।
15-7-14

म0 प्र0 भू- राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत।

श्रीमान तहसीलदार सांवेर द्वारा प्रकरण क्र. 22/अ-27/13-14 पर 17-02-2014 को पारित आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय म0 प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर के समक्ष उचित न्याय शुल्क के साथ सादर प्रस्तुत है।

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2263–पीबीआर/14 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों अ के हस्ताक्षर
22–8–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्क पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 17–2–14 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत लिखित तर्क या प्रस्तुत न्याय दृष्टांतों पर विचार नहीं किया जाना पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है । विधि एवं तथ्यों के प्रश्न पर भी गलत निर्णय पुनर्विलोकन का आधार नहीं बनाया जा सकता है, केवल अभिलेख को देखने से ही प्रकट गलती पुनर्विलोकन के दायरे में आता है । अतः उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 15/अ–27/2000–01 आदेश दिनांक 23–4–2001 का पुनर्विलोकन करने संबंधी आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राहय की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	